UP Pollution

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

संदर्भ संख्या F 33650 /सी–१/एन० ओ० सी० /जी–५५२/२००८ दिनांक 30-5-08

सेवा में,

मैसर्स फ्रेण्ड लेण्ड डेवलपर्स,
द्वारा श्री विजय सिंहल,
१७, किरण इनक्लेव, जी० टी० रोड,
गाजियाबाद।

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में विस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक १०/१२/२००७ का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

(क) स्थल : प्लाट नं० ९५, लोनी रोड,
आपोजिट हिण्डन एअर वेस, मोहन नगर,
गाजियाबाद।

(ख) उत्पादन : ९०४ आवासीय इकाई, शापिंग काम्पलेक्स, जागिंग ट्रैक, जिम
इण्टरनेशनल क्लब, प्ले स्कूल, स्मिंग पूल

(ग) मुख्य कच्चे माल : ....

....

....

शून्य

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : ....

....

....

(ड.) प्रयुक्त ईंधन : ~~डी०जी०सेट हेतु डीजल~~

....

....

उपर्युक्त विषय वस्तु मे किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना मे की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमो के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमों के वैधानिक प्राविधानों के अर्न्तगत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

4. उद्योग में परीक्षण उत्पादन के पूर्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा इकाई का निरीक्षण सुनियोजित किया जाए।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ४५० कि०ली०/दिन से अधिक नही होगी। सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ३१/१२/०८ तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

मै० फेण्डलैण्ड डेवलपर्स प्लाट नं० ९५, लोनी रोड, मोहननगर, गाजियाबाद द्वारा पस्तावित उक्त आवासीय योजना में ९०४ आवासीय इकाई, शपिंग काम्पलेक्स, जगिंग ट्रेक, मिम, इण्डटरनेशनल कल्ब, प्ले स्कूल, स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाये।

८- मैसर्स फेण्डलेण्ड डेवलपर्स प्लाट नं० ९५, लोनी रोड, मोहन नगर, गाजियाबाद प्रस्तावानुसार एस०टी०पी० का निर्माण डिशइनफेक्शन यूनिट के साथ सीवेज जनित होने के पूर्व करें। शुद्धिकृत उत्प्रवाह को प्रस्तावानुसार ग्रीनवेल्ट एवं गार्डनिंग हेतु प्रयेाग करें।

९- मैसर्स फेण्डलेण्ड डेवलपर्स प्लाट नं० ९५, लोनी रोड, मोहन नगर, गाजियाबाद शुद्धिकरण व्यवस्थाओं हेतु अलग से डी०जी० सेट स्थापित करे तथा उक्त हेतु अलग से विद्युत मीटर स्थापित करें।

१०- सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रस्तावनुसार किया जाये तथा बायोडिग्रेडेबुल वेस्ट के लिए वर्मीकल्चर किया जाये।

११- समस्त प्रस्तावित डी०जी० सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओ के साथ-साथ बोर्ड मानको के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जाये।

१२- मैसर्स फेण्डलैण्ड डेवलपर्स प्लाट नं० ९५, लोनी रोड, मोहन नगर, गाजियाबाद द्वारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यव्यथा स्थापित करें।

१३- मैसर्स फेण्डलेण्ड डेवलपर्स प्लाट नं० ९५ लोनी रोड, मोहन नगर, गाजियाबाद नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१४- मैसर्स फेण्डलेण्ड डेवलपर्स प्लाट नं० ९५ लोनी रोड, मोहन नगर, गाजियाबाद को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम १९७४ एवं वायु अधिनियम १९८१ के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

१५- बैक गारन्टी की शर्तो का अनुपलन न करने की दशा में प्रेषित बैंक गारन्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमों के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों मे संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध मे उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ......३१/१२/०८.......................... तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन स. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र :.................गाजियाबाद..
....

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड :.........गाजियाबाद...
....

....

....

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

(वृत्त........१..................................)